न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 141/2022 वाद पत्र
जीसीएमएस नम्बर 2022/367

1. घीसालाल पिता नन्दा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी लूणखन्दा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——वादी

बनाम

1. कमलीबाई पुत्री देवीलालजी जाति भील आयु वयस्क निवासी बांगेडाघाटा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. मोहनीबाई पुत्री देवीलालजी जाति भील आयु वयस्क निवासी बांगेडाघाटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——प्रतिवादीगण

<u>दावा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता वादी, उपस्थित
प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

::निर्णय:: दिनांक 13.12.2022

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा बांगेडाघाटा प0ह0 बांगेडाघाटा तह0 निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 759 की आराजी नं0 2374/1135 रकबा 0.8100 हैक्टेयर लगानी 4 रुपये 5 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार बांगेडाघाटा प0ह0 बांगेडाघाटा तह0 निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 758 की आराजी नं0 2378/2230 रकबा 0.4300 हैक्टेयर लगानी 2 रुपये 15 पैसा स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली [illegible] 759 की आराजी नं0 2374/1135 मे वादी का 1/2 [illegible] हि[illegible] तथा खाता संख्या 758 की आराजी नं0 237[illegible] मे वादी [illegible] 3/4 हक हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार चला आ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है, तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं इसलिए वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं, तथा बटवाडा कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार वादग्रस्त खाता संख्या 759 की आराजी नं0 2374/1135 मे वादी का 1/2 हक हिस्सा तथा खाता संख्या 758 की आराजी नं0 2378/2230 में वादी का 3/4 हक हिस्से का बटवारा मौके पर काबिज अनुसार वादी का हक हिस्सा, अलग कराने का अधिकारी हैं, तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बदस्तुर शामील रखाते हुवे अलग कराने के अधिकारी हैं। इस आशय का वाद वादी ने पेश किया।

वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहे, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता एक पक्षीय सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी द्वारा अपनी एक पक्षीय साक्ष्य में दस्तावेजीय साक्ष्य के रुप में नकल जमाबंदी, प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 प्रदर्शीत करवाई गई, मौखिक साक्ष्य के रुप में वादी घीसालाल पीडब्ल्यु 1 व गवाह गीतालाल पीडब्ल्यु 2 के रुप में परिक्षित करवाये गये, वादी विवादित भूमि का दर्ज हिस्से का मौके पर काबिज अनुसार बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवारा कराना चाहता है। रेकार्डेड खातेदार को अपने हक हिस्से कब्जे की दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। [illegible] का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार [illegible] उचित प्रतीत होता है। वाद को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को [illegible] कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि [illegible] मौजा [illegible]डाघाटा प0ह0 बांगेडाघाटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तह0 निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 759 की आराजी नं0 2374/1135 रकबा 0.8100 हैक्टेयर लगानी 4 रुपये 5 पैसा इसी प्रकार बांगेडाघाटा प0ह0 बांगेडाघाटा तह0 निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 758 की आराजी नं0 2378/2230 रकबा 0.4300 हैक्टेयर लगानी 2 रुपये 15 पैसा भूमि का बटवारा कब्जे को प्राथमिकता देते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जावे। वादग्रस्त खाता संख्या 759 की आराजी नं0 2374/1135 मे वादी का 1/2 हक हिस्सा तथा खाता संख्या 758 की आराजी नं0 2378/2230 में वादी का 3/4 हक हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार अलग किया जावे तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार हक हिस्सा अलग किया जावे एवं बटवाडा कर अलग अलग किया जावे तथा तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशीत किया जाता है कि तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना मे बटवारा प्रस्ताव सभी पक्षकारो की उपस्थिति में किया जाकर न्यायालय हाजा मे पेश करे। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पूर्णत पालना की जावे। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.02.2023 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादी से वसूल की जावे। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.02.2023 को प्रस्तुत हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner